तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 287/2023 जीसीएमएस : 2023/382 सरकार बनाम वरयाम सिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13ए राज.उप.अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
23.10.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। अप्रार्थीगण स्वयं एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। प्रकरण को पूर्ववर्ती न्यायालय से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है लेकिन अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आए है। पत्रावली का अवलोकन किया। यह पत्रावली तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्रांक/टीआरए/14/1706 दिनांक 09.10.2015 के द्वारा प्रतिवेदन विषयक अन्तर्गत धारा 13ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 चक 2 एलपीएम तहसील रायसिंहनगर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी मूल आवंटन वरयाम सिंह व क्रेतागण मोहन सिंह व बलवीर सिंह के विरूद्ध दायर किया गया था। प्रकरण में ईकरारनामा के संबंध में मा. सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) रायसिंहनगर एवं मा. उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा निर्णय पारित कर क्रेतागण के पक्ष में बैयनामा करवाये जाने के आदेश पारित किये गये है। राज.उप. अधि. की धारा 13ए के तहत बिना अनुमति हुए अन्तरणों को विधिमान्य किये जाने के प्रावधान है। अप्रार्थीगण को न्यायालय के समक्ष इस आशय के लिए चाराजोही करनी चाहिए थी, परन्तु प्रकरण में अप्रार्थीगण की कोई रूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र पर विचारण किया जाना न्यायालय की राय में समीचीन नहीं है। प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अवधेश मीना) I.A.S. जिला कलक्टर अनूपगढ न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)	